

कार्यालय -----

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 03 के तहत आहरण वितरण अधिकार दिये जाने के प्रस्ताव

क्र.सं.	संस्था का नाम व कार्यालय अध्यक्ष का पद नाम जिसके लिए आहरण वितरण अधिकार दिये जाने हैं	अधिकारी का नाम/पदनाम पदस्थापन स्थान जिनको आहरण वितरण अधिकार दिये जाने हैं मय जन्म तिथि	कॉलम 3 में अंकित अधिकारी का चयन तथा आरपीएससी/ डीपीसी/ पाते वेतन अंकित करें	कॉलम संख्या 2 व 3 में परस्पर दूरी किमी. में	सम्बन्धित कोष / उपकोष का नाम	विभागीय जॉंच की स्थिति	कॉलम 3 में अंकित अधिकारी को कितने संस्था/कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार है	लेखाकर्म की टिप्पणी परिपत्र के बिन्दु सं. 1. 2 के अनुसार	संचारित रजिस्टर का क्रमांक व दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

हस्ताक्षर